REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, बुधवार, मई 1, 2019/वैशाख 11, 1941
No. 132] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 2019/VAISAKHA 11, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2019

फा.सं. पी-13039(18)/1/2018-सीसी (पी-26825).— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 के मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियम और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 में संशोधन करने के लिए दिनांक 29 जून, 2017 को राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 728(अ) जारी की है। संशोधित आदेश के खंड 6 (ए)1 में यह उल्लिखित है कि केन्द्रीय सरकार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों और विनिर्दिष्ट मिश्रण सीमाओं के अनुसरण में सभी उपभोक्ताओं को हाई स्पीड डीजल में मिश्रण के लिए जैव-डीजल (बी-100) का सीधा विक्रय करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकती है।

2. उपर्युक्त के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा परिवहन प्रयोजन के लिए हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण हेतु जैव-डीजल की बिक्री के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करती है।

3 (i) इन दिशा-निर्देशों को **"परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव-डीजल की बिक्री हेतु दिशा-निर्देश, 2019"** कहा जाए।

(ii) उपर्युक्त दिशा-निर्देश समस्त भारत पर लागू होंगे।

(iii) इसमें निहित दिशा-निर्देश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

4. दिशा-निर्देशों का पाठ संलग्न है।

"परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव-डीजल की बिक्री हेतु दिशा-निर्देश, 2019"

i. जैव डीजल (बी-100) की खुदरा बिक्री हेतु अनुमति लेने के लिए आवेदन राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश (जहां इस खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना की जानी है) के नागरिक आपूर्ति विभाग/अन्य विभाग, जिसे इस कार्य के लिए संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया है, को प्रस्तुत करने होंगे।

Scanned by CamScanner

ii. यह अनुमति केवल जैव डीजल (बी-100) की बिक्री के लिए होगी और न कि जैव डीजल मिश्रण (किसी भी प्रतिशतता में) के लिए होगी।

iii. जैव डीजल की बिक्री के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना की अनुमति संबंधित केन्द्र/राज्य/केन्द्र शासित/स्थानीय सरकार/प्राधिकरणों, जहां खुदरा बिक्री केन्द्र स्थित है, से संबंधित **अनुलग्नक** तथा उसमें उल्लिखित अन्य संबंधित प्राधिकारणों के अनुसार पंजीकरण/अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाणपत्रों की शर्त पर निर्भर करेगी।

iv. इस अनुमति को जैव डीजल के विक्री वाले स्थल पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

v. उपर्युक्त अनुमति के अनुसरण में वेचे जाने वाला जैव डीजल आयातित न होकर स्वदेशी रूप से उत्पादित होना चाहिए।

vi. ग्राहक के ऑटोमोवाइल टैंक में डीजल के साथ मिश्रण हेतु अनुमोदित जैव डीजल की प्रतिशतता को वोर्डों पर प्रमुखता से अंग्रेजी/हिन्दी तथा क्षेत्र की स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, जैव डीजल खुदरा विक्री केन्द्र पर प्रमुखता से यह चेतावनी (उपरोक्त वोर्डों के साथ) प्रदर्शित करनी होगी कि विनिर्धारित प्रतिशतता से अधिक प्रतिशतता में जैव डीजल का इस्तेमाल इंजन को क्षति पहुंचा सकता है।

vii. खुदरा विक्री केन्द्र के स्वामी/प्रचालक, आपूर्तिकर्ता के ब्यौरों के साथ साथ सामग्री के खपत और बकाया का रिकार्ड रखेंगे। जैव डीजल खुदरा विक्री केन्द्र के स्वामी/प्रचालक इस सामग्री रिकार्ड को हर समय खुदरा विक्री केन्द्र पर उपलब्ध रखेंगे, ताकि कभी भी संवंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार और/अथवा केन्द्र सरकार के किसी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में निरीक्षण किया जा सके।

viii. वायो डीजल खुदरा विक्री केन्द्र के स्वामी/प्रचालक अपने आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कम से कम पिछली तीन आपूर्तियों के नमूने रखेंगे ताकि उपुर्यक्त उद्देश्य के लिए प्राधिकृत किसी भी प्राधिकारी द्वारा उनका निरीक्षण और/अथवा जांच की जा सके।

ix. वायो डीजल खुदरा विक्री केन्द्र का स्वामी/प्रचालक एक रजिस्टर में बायो डीजल की प्रत्येक बिक्री का स्थायी रिकार्ड रखेगा जिसे दैनिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा और यह हर समय जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक बिक्री के लिए विल (डुप्लीकेट में) को जारी किया जाएगा जिसमें बेची गई मात्रा, प्रभारित दर और बिक्री की तारीख व समय के ब्यौरे देते हुए वाहन संख्या और ग्राहक का नाम/संपर्क दूरभाष को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना अनिवार्य होगा। (बिल की एक प्रति ग्राहक के लिए और एक प्रति खुदरा विक्री केन्द्र के रिकार्ड के लिए)

x. राज्य सरकार के प्राधिकारियों के पास जैव-डीजल की विक्री करने वाले खुदरा विक्री केन्द्रों की नियमित जांच करने का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता को जैव-डीजल सही गुणवत्ता और मात्रा में उपलब्ध हो रहा है और सीधे ईंधन के तौर पर इसे परिवहन उद्देश्यों से नहीं वेचा जा रहा है। यदि वेचे जा रहे जैव-डीजल (बी100) का कोई नमूना फेल होता है तो राज्य/जिला प्रशासन एमएस (पेट्रोल) और एचएसडी (हाई स्पीड डीजल) की विक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों (एमडीजी) के अनुरूप प्रशासनिक कार्रवाई करेगा।

xi. श्रेणी "वी" पेट्रोलियम उत्पादों के लिए लागू सभी मात्रा और सुरक्षा दूरी संबंधी मानदंड जैव-डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा विक्री केन्द्रों पर लागू होंगे क्योंकि इसे हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रित किया जाना होता है जो श्रेणी "बी" पेट्रोलियम उत्पाद है।

xii. यह सुनिश्चित करने के लिए कि जैव-डीजल के खुदरा विक्री केन्द्र केवल बीआईएस मानकों के अनुरूप जैव-डीजल की बिक्री कर रहे हैं और न कि जैव-डीजल और हाई स्पीड डीजल के मिश्रण अथवा केवल डीजल की बिक्री कर रहे हैं, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के मिलावटरोधी प्रकोष्ठ को अनाधिकृत और अवैध जैव-डीजल विनिर्माण संयंत्रों, भंडारण तथा वितरण इकाइयों और खुदरा विक्री केन्द्रों का निरीक्षण करने, तलाशी लेने और अपने कब्जे में लेने का अधिकार है।

Scanned by CamScanner

(iii. तेल उद्योग की मोबाइल प्रयोगशालाओं के पास भी जैव-डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों, विनिर्माण संयंत्रों, जैव-डीजल के भंडारण और वितरण नेटवर्क के निरीक्षण करने का क्षेत्राधिकार होगा।

xiv. अवैध जैव-डीजल आपूर्तिकर्ताओं का इस क्षेत्र में प्रवेश रोकने के उद्देश्य से, जैव-डीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं के लिए एक उपयुक्त पंजीकरण प्रणाली राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर तैयार की जाएगी। इसके अलावा, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें अपने-अपने संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में जैव-डीजल की बिक्री करने वाले सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों का एक रजिस्टर रखेंगी।

xv. ऐसी कोई अन्य शर्त भी शामिल की जा सकती है जिसे राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकार अपने संबंधित राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश में प्रचलित परिस्थितयों के अनुसार जैव-डीजल की बिक्री के लिए उपयुक्त समझें।

xvi. राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें किसी आवेदक को जैव-डीजल की बिक्री के लिए अनुमति नहीं देने से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण निर्दिष्ट करेंगी।

xvii. इन दिशा निर्देशों के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।

[फा.सं. पी-13039(18)/1/2018-सीसी (पी-26825)]

संदीप पौण्डरीक, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

अपेक्षित पंजीकरण/अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाणपत्र:

i. जिला मजिस्ट्रेट/जिला आयुक्त द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए किया जा रहा है।

ii. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) लाइसेंस, यथा अपेक्षित।

iii. राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

iv. संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के माप-तौल विभाग

v. संबंधित राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग

vi. जिला प्रशासन से वाणिज्यिक भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र

vii. राज्य जैव ईंधन बोर्ड (जहां कहीं अस्तित्व में हैं)

viii. जीएसटी पंजीकरण

ix. अग्निशमन विभाग

x. दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम

xi. संबंधित राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2019

P-13039(18)/1/2018-CC(P-26825).—Ministry of Petroleum & Natural Gas has issued Gazette notification ...ending the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, ... 2005, Clause 6 (A) 1 of the amended order ... diesel to

Scanned by CamScanner

बायोडिझेल चे पंप सुरु करण्यासाठी आवश्यक परवाने / नोंदणी / मान्यता.

(अधिसूचना क्र फा.स. पी. १३०३९(१८)/१/२०१८-सिसि (पी- २६८२५) दिनांक: ३०/०४/२०१९)

१) तेल वितरण कंपन्यांचे पेट्रोल पंप उघडण्यासाठी आवश्यक परवाना/ना हरकत प्रमाणप जिल्हा दंडाधिकारी / जिल्हा आयुक्त यांचेकडून घेणे आवश्यक आहे.

२) पेट्रोलियम आणि विस्फोटक संघटना यांचा परवाना.

३) राष्ट्रीय/ राज्य महामार्ग प्राधिकरणाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र.

४) संबंधित राज्य शासनाच्या वजन व मापे विभागाकडून नोंदणीकृत. -

५) राज्य शासनाचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचा परवाना.

६) जमिनीचे वाणिज्यिक वापर संबंधी जिल्हाप्रशासनकडून प्रमाणपत्र.

७) राज्य शासनाच्या बायोफ्युएल बोर्डाची मान्यता. (बोर्ड असल्यास)

८) GST रजिस्ट्रेशन.

९) अग्निशमन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र.

१०) दुकाने व आस्थापना विभागाचे नोंदणी पत्र.

११) राज्य शासनाचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र.

Scanned by CamScanner